निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1936 (श0)

(सं0 पटना 359) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2015

सं0 08/आरोप–01–116/2014,सा०प्र०–185

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

6 जनवरी 2015

श्री प्रमोद कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–2295/99, 825/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–311, दिनांक 17.01.2000 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर कार्रवाई करते हुए विभागीय आदेश सं०–3669, दिनांक 22.04.2002 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3832, दिनांक 02.05.2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार के स्पष्टीकरण एवं सुसंगत प्रावधानों के आलोक में समीक्षा के उपरांत विभागीय आदेश सं०–1972, दिनांक 11.03.2004 निम्न दंड संसूचित करते हुए निलंबन मुक्त किया गया :–

(क) अगली प्रन्नोति दो (02) साल के लिए अवरूद्ध रहेगी जो आरोप की तिथि दिनांक 03.12.1999 पश्चात् अर्थात 2000 से दो वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

(ख) निलंबन में बितायी गयी अवधि के लिए इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ देय नहीं होगा, किन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार ने बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण एवं नियमावली,2005 के नियम–32 (4) के प्रावधानों के तहत अपील दायर किया। राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुमार

के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। एतद् संबंधी आदेश संकल्प ज्ञापांक–11481, दिनांक 19.11.2007 द्वारा संसूचित किया गया।

4. कालान्तर में श्री कुमार ने विभागीय दंडादेश सं०–1972, दिनांक 11.03.2004 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०जी०सं०–7848/08) दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश (दिनांक 12.05.2011) के अनुपालन में बिहार सेवा संहिता के नियम–97 (3) (5) के प्रावधानों के तहत निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय हेतु विभागीय पत्रांक–4467, दिनांक 26.03.2012 द्वारा श्री कुमार से कारण–पृच्छा की गयी।

इस क्रम में श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर (स्पष्टीकरण) की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर सम्यक् रूप से समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के दावे पर इन्होंने कोई तार्किक औचित्य/आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में विभागीय आदेश सं०–1972, दिनांक 11.03.2004 द्वारा संसूचित शास्ति यथावत रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मो० जफर रकीब,

सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 359-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in